न्यायालय सहायक कलक्टर(द्वितीय),सीकर

|वान सुमित्रा बनाम पूर्णमल वगै0

|स्म मुकदमा....विविध.................................मुकदमा नं. 20 / 2022

नांक	आज्ञा पत्र	
.12.2022	पत्रावली पेश हुई । वादीगण अधिवक्ता श्री राधेश्याम बियाला उपस्थित। आवेदन 9R9 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी पेश किया । रिपोर्ट रिपोर्ट राजस्व लिपिक प्राप्त की गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन 151 सीपीसी पर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को मूलवाद के पुनः नम्बर पर आने तक राजस्व रेकार्ड व भौतिक स्थिति की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमियों को खुर्द बुर्द व हस्तानान्तरण करने तथा रहन करने के लिए आमादा हो रहा है। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एंव आकस्मिकता को देखेते हुए उभयपक्षकारान को अंतरिम रूप से पाबंद किया जाता है कि विवादित ख0 न0 317/690, 461 व 74 कुल किता 3 कुल रकबा 2.27 है0 वाके ग्राम भढाढर तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में आगामी दिनांक 20.01.2023 तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। यह आदेश प्रचलित एंव कटानी रास्तों पर लागु नहीं होगा। वकील प्रार्थी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामिल करवाना सुनिश्चित करें। [signature] सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	
20/1/23	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक....8/3/23 को पेश हो। [signature]	
30/1/23	[illegible] आवेदन पर आज पेश हुई। [illegible] प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में राजीनामा हो चुका है वाद को आगे नहीं चलाना चाहती। अतः प्रकरण नोट [illegible] में दाखिल की जाती है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	श्रीमान्, प्रकरण पक्षकारान के मध्य राजीनामे [illegible] हो चुका है [illegible] सुमित्रा Identified by me [signature] [illegible] 30/1/23